भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3097

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

बाल यौन शोषण सामग्री विधि

3097. श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

डॉ. निशिकान्त दुबे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहयोग मंच के अंतर्गत क्या विशिष्ट उपाय प्रस्तावित हैं तथा इससे बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) मामलों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीएसएएम मामलों में देरी न करें, उन्हें दबाएं नहीं या कम रिपोर्ट न करें और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसएएम रिपोर्टिंग और टेकडाउन पर तकनीकी प्लेटफॉर्मों के लिए, सख्त दायित्वों को लागू करने के लिए मध्यस्थ दिशानिर्देश (आईटी नियम), 2021 में संशोधन किया जाएगा और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्लेटफॉर्म को परीक्षण या पायलट कार्यान्वयन के लिए तैनात किया गया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ड.) क्या सहयोग मंच के अंतर्गत कोई राज्य-विशिष्ट पहल की गई है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन से महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव और खानदेश क्षेत्र को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.): केन्द्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी तरह की अश्लील सामग्री और यौन दुष्कृत्य संबंधी सामाग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। आईटी अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन क्रिया करते हुए दर्शाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक के कारावास और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सात साल तक के कारावास और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है और यह एक संज्ञेय अपराध है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है और चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' राज्य का विषय है, इसलिए बच्चों के खिलाफ इस तरह के साइबर अपराध की रोकथाम, जांच आदि

के लिए राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, राज्य का पुलिस विभाग महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करता है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी निष्ठा बरतने का दायित्व सोशल मीडिया के मध्यस्थों समेत सभी मध्यस्थों पर डाला गया है। ऐसे दायित्वों में मध्यस्थ द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर या अनजाने में किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित या संग्रहीत न करने के लिए उचित प्रयास करने की व्यवस्था की गई है । इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत में यदि कोई कोई भी ऐसी सामग्री जो प्रथम दृष्टया ऐसे व्यक्ति की निजता को उजागर करती हो और ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र अवस्था में दिखाती हो या ऐसे व्यक्ति को किसी यौन कृत्य या आचरण में दिखाया या चित्रित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में माध्यस्थों को इस प्रकार की सामग्री 24 घंटे के भीतर हटाने के लिए बाध्य किया जाता है । साथ ही, यदि किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा मुख्यता संदेश के रूप में सेवाएँ दी जा रही हैं तो उसे बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने और जांच करने तथा अभियोजन या दंड के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, जब कभी भी अदालत के आदेश द्वारा या किसी उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से सोशल मीडिया और अन्य मध्यस्थों के संज्ञान में भारत ने किसी भी कानून का उलंघन होने की जानकारी लाई जाती है तो ऐसे में उस मध्यस्थ को उक्त जानकारी हटाने के लिए बाध्य किया जाता है।

ऐसे साइबर अपराधों से समन्वित तरीके से निपटने के तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं:

(i) गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है, ताकि नागरिक सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गृह मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भी स्थापना की है।

(ii) गैरकानूनी सूचनाओं को हटाने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, आई4सी ने गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर सहयोग नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है । सहयोग पोर्टल को आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा माध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि गैरकानूनी कार्य करने के लिए इस्तेमाल की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाया या उस तक पहुँच को अक्षम किया जा सके। भारत के नागरिकों के लिए एक स्वच्छ साइबर स्पेस प्राप्त करने के लिए गैरकानूनी ऑनलाइन सूचनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए देश की सभी अधिकृत एजेंसियों और सभी माध्यस्थों को एक प्लैटफ़ार्म पर लाने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच ऑनलाइन बाल एक्सिप्लसिट सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसीएमईसी से प्राप्त टिपलाइन्स को आगे की कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एलईए के साथ ऑनलाइन साझा किया जा रहा है।

******